Family Law (Muslim Law)

UNIT- IV

भरण पोषण (Maintenance):-

मुस्लिम विधि में भरण-पोषण को नफक कहते हैं या अरबी भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत खाना कपड़ा और मकान की तीन चीज अनिवार्य रूप से सम्मिलित है।

भरण पोषण के निम्नलिखित अधिकारी हैं-

1. पत्नी
2. माता-पिता और पितामह पितामही
3. बचचे
4. प्रतिसिध डेरिकी के अंतर्गत आने वाले संबंधी

पत्नी का भरण पोषण

पत्नी को अपने पति के निर्वाह और अति प्राप्त करने का विधिक अधिकार है भले ही पत्नी इतनी आर्थिक सामर्थ्य रखती हो कि वह पति की आर्थिक सहायता के बिना अपना निर्वाह कर ले उस स्थिति में विवाह भरण-पोषण की हकदार होगी।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी का भरण पोषण:-

1 पति पर पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व उत्पन्न होता है यदि पत्नी परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है अर्थात जब वह समागम करने योग्य हो जाए।

2 जब पत्नी स्वयं को पति को समर्पित कर देती है तब संभोग अनुचित या अवैध हो को छोड़कर और समागम के लिए तैयार रहती है।

बेगम सुबानु बनाम अब्दुल गफूर AIR 1987 SC 1103

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि यदि कोई मुस्लिम पति किसी दूसरी महिला से विवाह कर लेता है तो उसकी पहली पत्नी को या अधिकार होता है कि अलग रहकर भी भरण-पोषण की मांग करें।

3 विवाह विच्छेद के बाद भी पत्नी इद्दत की अवधि में अपने पति या उसकी संपत्ति से भरण-पोषण फूल करने का अधिकार रखती है।

परिस्थितियां जब पत्नी भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है

1 जब वह दांपत्य संभोग के लिए अल्प वयस्क है लेकिन पत्नी वयस्क है और पति अवयस्क है 15 वर्ष से कम तो पत्नी अवयस्क पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है।

2 जब पति को अपने पास ना आने देती हो।

3 वह पति की वैध आज्ञा ओं का उल्लंघन करती हो आदेश ना मानती हो।

4 बिना वैध कारण से पति के साथ रहने से इंकार कर दे।

5 जारता में रह रही हो।

6 यदि पत्नी को कारावास हो गया हो।

विधवा पत्नी:-

मुस्लिम विधि में पति की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी संपदा में भरण पोषण की हकदार नहीं होती है इद्दत की अवधि में भी भरण पोषण की हकदार नहीं होती है चाहे वह गर्भवती ही क्यों ना हो। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि विधवा पति की जायदाद में उत्तराधिकार पाने की हकदार हो जाती है।

तलाकशुदा पत्नी :-

पति द्वारा तलाक दी गई पत्नी केवल इद्दत की अवधि में ही भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है अन्य किसी दशा में अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होती है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण :-

मुस्लिम विधि में पत्नी का पति से या उसकी संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार पति की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है परंतु दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 में विधवा भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकार होती है।

जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम AIR 1985 SC 1243

निर्धारित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 में केवल तलाकशुदा पत्नी ही सम्मिलित नहीं है बल्कि ऐसी पत्नी ही सम्मिलित है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह के विघटन की डेरिकी की प्राप्त कर लिया हो और दूसरा विवाह नहीं किया है।

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम AIR 1985 SC 945

इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्धन मुस्लिम पत्नी दत्त के बाद भी इस समय तक अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक वह दूसरा विवाह ना करें न्यायालय का मत्था दत्त की अवधि तक भरण पोषण का नियम सक्षम हुआ साधन संपन्न पत्नी के लिए है ना कि निर्धन पत्नी के लिए न्यायालय का ऐसा निर्णय सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत था
शाहबानो बाद में दिए गए निर्णय का कट्टर व प्रकृति वादी मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया और आवाज उठाएगी या निर्णय उसके धर्म शरीयत के प्रतिकूल है उनके धर्म के अनुसार पति तलाकशुदा पत्नी को इज्जत काल की अवधि के पश्चात भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं हैं इस विवाद को देखते हुए संसद ने मुस्लिम विधि को स्पष्ट करने के लिए सन 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण नियम 1986 पारित किया।

मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भरण-पोषण :-

इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार पूर्व पति तलाकशुदा पत्नी को उसकी इज्जत की अवधि तक भरण पोषण देने के लिए बाध्य है तथा धारा 4 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है और वह तलाक के बाद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है तो पत्नी के ऐसे रिश्तेदारों को जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकारी है उन्हें भरण पोषण देने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है यदि उस पत्नी के पास बच्चे हैं तो दायित्व बच्चों पर होगा यदि बच्चे नहीं है तो भरण-पोषण का दायित्व पत्नी के माता-पिता पर होगा यदि माता-पिता असमर्थ हो तो उसके रिश्तेदारों पर हो गया होगा यदि रिश्तेदार भरण पोषण देने में असमर्थ हों तो दायित्व राज्य के वर्क फॉर बोर्ड पर होगा जिस राज्य में स्त्री निवास करती है यदि वक्फ बोर्ड के पास धन नहीं है तो राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को प्रतिपूर्ति करेगी।
इस अधिनियम की धारा पांच के अनुसार पति और पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के उपबंध हो से तभी शासित होंगे यदि वे धारा 5 में दिए गए विकल्पों को चुनते हैं यदि वे धारा 5

के विकल्प को नहीं चुनते हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 से 128 तक के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।

उस्मान खां बनाम कबिमिनंनिशा बेगम AIR 1990

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में निर्धारित किया गया कि मुस्लिम महिला महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हो जाने के पश्चात तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री अपने पूर्व पति से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 28 में भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है।

डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ AIR 2001SC 3958

निर्मित किया गया कि मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 केवल उन्हीं महिलाओं पर लागू होगा जिनका विवाह मुस्लिम विधि के रीति-रिवाजों से हुआ हो उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जिनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ है और इसके अंतर्गत तलाक हुआ हो। शाबान बानो बनाम इमरान खान AIR 2010 SC 666
मुस्लिम तलाकशुदा महिला दत्त के बाद भी धारा 125 में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है।

अवयस्क संतानों का भरण पोषण :-

पिता अपने अवयस्क पत्रों परिपक्वता की कम आयु के पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों का भरण पोषण करने का उत्तर दायित्व होता है लेकिन संता ने अपने निजी आय और संपत्ति से अपना निर्वाह कर सकते हैं तो उस स्थिति में पिता से निर्वाह वृद्धि पाने के अधिकारी नहीं होंगे यदि पिता भरण पोषण करने में अक्षम हो तो उस स्थिति में भरण पोषण का उत्तर दायित्व उसके माता-पिता के ऊपर आ जाता है और यदि उसकी माता भी असमर्थ हो तो पिता के पिता पर दादा या उत्तरदायित्व आएगा।

अकील अहमद के अनुसार- यदि पिता दरिद्र हो तो भरण-पोषण का दायित्व माता लेगी परंतु माता के बाद पिता संपन्न हो जाता हो तो माता के को अधिकार होगा कि वह पिता उसके पति से खर्च वसूल ले।

अवैध संतानों के भरण-पोषण के अधिकार के विषय में पिता का कोई दायित्व नहीं होता है हनीफी विधि के अनुसार माता का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्राकृतिक संतानों को भरण पोषण प्रदान करें।

पुत्री को अपनी इच्छा अनुसार अलग रहने का अधिकार नहीं है अलग रहकर व भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है यदि वह पिता के साथ रहने से इंकार करती है तो भरण पोषण का अधिकार खो देती है।

<u>नूर सबा खातून बना मोहम्मद कासिम 1997 6SCC 523</u>

इस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मुसलमान तलाकशुदा स्त्री को अपने आवास के बच्चों के लिए अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 1 क.के अनुसार प्राप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी धर्म या अधर्म अवैध संतानों का चाहे विवाहित हो या ना हो वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह उसका भरण पोषण करने का उत्तरदाई होगा इसके साथ ऐसी संतानों का भरण पोषण करने का जो वयस्कता प्राप्त कर लिए हों लेकिन शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो सीआरपीसी 125 1 (ग)

माता-पिता का भरण पोषण का अधिकार:-

माता-पिता को निर्वाह वृद्धि देना ऐसी संतानों का विधिक कर्तव्य है जो अपने माता पिता को निर्वाह वृत्ति देने की स्थिति में है पुत्र चाहे जितनी कठिन परिस्थितियों में हूं आप ने निर्धन माता को निर्वाह वृद्धि देने के लिए बाध्य होता है पुत्र यद्यपि गरीब हो परंतु कुछ ना कुछ कमा रहा हो तो वह भी अपने गरीब पिता को निर्वाह व्यक्ति देने के लिए बाध्य है यदि संतान अलग स्रोत वाले हो तो उसे अपने आय के अनुपात में निर्वाह रति देने के लिए उत्तरदाई है हनफी विधि के अंतर्गत हुए भी व्यक्ति भरण पोषण करने के लिए बाद होते हैं जो प्रतिषेध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं सगे संबंधी

इस प्रकार माता-पिता को भरण पोषण देना संतानों का विधिक कर्तव्य है और माता पिता भरण पोषण तभी प्राप्त कर सकेंगे जब वह स्वयं दीन हीन अवस्था में हो और अपना निर्वाह करने में असमर्थ हो। सीआरपीसी की धारा 125 1घ के अंतर्गत संता ने अपने माता-पिता का जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हूं का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदाई होते हैं।

<u>अभिभावकता</u> <u>(Guardianship)</u>:-

अभिभावक वह व्यक्ति है जो किसी अल्प वयस्क के शरीर या उसकी संपत्ति या शरीर और संपत्ति दोनों का अभिभावक हो।

मुस्लिम विधि के अनुसार अभिभावक

मुस्लिम विधि में निम्नलिखित संरक्षक मान्य किए गए हैं

1 नैसर्गिक संरक्षक

2 वसीयत संरक्षक

3 न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक

4 वस्तुतः संरक्षक

1. नैसर्गिक संरक्षक :-

किसी बच्चे का नैसर्गिक या विधिक संरक्षक उसका पिता होता है संरक्षक श्रम प्रतिपाल अधिनियम 1990 की धारा 19 के अनुसार न्यायालय किसी आवेशित शिशु ईयर संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता जिसका पिता जीवित हो और न्यायालय के विचार में व संरक्षक बनने का अयोग्य ना हो यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादन नैसर्गिक संरक्षक होता है और यदि कोई निष्पादन नियुक्त ना हो तो उस स्थिति में पितामह नैसर्गिक संरक्षक माना जाता है पितामह की अनुपस्थिति में पितामह दादा द्वारा नियुक्त निष्पादन नैसर्गिक संरक्षक होता है।

पिता -पिता का निष्पादन- पितामह- पितामह का निष्पादन

शिया विधि:-

शिया विधि में पिता के बाद पिता मानेसर के संरक्षक होता है यदि पिता मन ना हो तो पितामह द्वारा नियुक्त निष्पादन नैसर्गिक संरक्षक बन सकता है।

2. वसीयत संरक्षक

मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार एक अल्प वयस्क के पिता या पितामह को वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक वसीयत संरक्षक माना जाता है पिता तथा उसके मृत्यु के बाद पितामह को ही वसीयत संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है माता को या अन्य किसी व्यक्ति को वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है वसीयत संरक्षक नियुक्त करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया या औपचारिकता का पालन करना आवश्यक नहीं है।

वसीयत संरक्षक की नियुक्ति स्पष्ट रूप से मौखिक या लिखित घोषणा के द्वारा की जा सकती है इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया संरक्षक के लिए किसी धर्म या लिंक का कोई प्रतिबंध नहीं है किंतु नियुक्त किया गया संरक्षक व्यक्ति स्वस्थ चित्त एवं वयस्क आयु का होना अनिवार्य है लेकिन शिया विधि में गैर मुस्लिम उसे संरक्षित नहीं हो सकता है।

3. न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक

नैसर्गिक, वसीयत संरक्षक के अभाव में न्यायालय आवेश के शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी जिला जज के यहां अवयस्क के संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

- अयस्क का संरक्षक बनने का इच्छुक या संरक्षक होने का दावा करने वाला व्यक्ति
- अवयस्क का कोई मित्र या संबंधी
- कुछ दशकों में कलेक्टर

4. वस्तुतः संरक्षक

वह व्यक्ति जो नाही नैसर्गिक संरक्षक है और ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है वह व्यक्ति जिसने स्वयं को अपनी सुरक्षा से किसी आवेश की शरीर व संपत्ति की देखरेख का दायित्व ले लिया हो वह तोता संरक्षक कहलाता है। वस्तुतः संरक्षक अयस्क की अचल संपत्ति का किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं कर सकता है यदि वह ऐसा स्थानांतरण करता है तो शून्य माना जाएगा।

वस्तुतः संरक्षक के अधिकार :-

वस्तुतः संरक्षक को अधिकार है कि वह अल्प वयस्क की चल संपत्ति को आवश्यकता पड़ने पर हा स्थानांतरित कर दे किंतु वह अचल संपत्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर और न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही अचल संपत्ति को स्थानांतरित कर सकता है।

वस्तुतः संरक्षक अवयस्क के शरीर व संपत्ति का मात्र अभी रक्षक होता है।

फैजी के अनुसार :-

व्यस्तता संरक्षक अधिकार नहीं रखता है किंतु वह कर्तव्यों के अधीन होता है पिता पितामह को छोड़कर अयस्क की माता भाई चाचा या अन्य सभी नातेदार अवयस्क के वस्तुतः संरक्षक हो सकते हैं।

रुबिया बेगम बनाम इकबाल अली खान AIR 1989 AP 30

उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विधि में अवयस्क के अभिभावक में वस्त्र का अभिभावक विधिक रुप से मान्य है लेकिन उसके द्वारा कोई संविदा की जाती है तो वह मान्य नहीं है अवयस्क का वयस्क होने पर किसी अंतरण को दृष्टि करण द्वारा भी मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह आरंभ से ही निष्प्रभावी होता है।

वस्तुतः अभिभावक पर अन्य प्रतिबंध

1 वयस्क की अचल संपत्ति पर कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता है।

2 वह अवयस्क की तरफ से उत्तर अधिकारों को वसीयत नहीं कर सकता है।

3 वह भागीदारी की संविदा नहीं कर सकता है और ना ही संविदा भंग।

4 वाह वयस्कों को किसी लिखित बांड द्वारा जो उसके पिता के मरण के लिए हो बात नहीं हो सकता है।

हिजानत (Hizanat)

हीजानत का तात्पर्य किसी नाबालिग बच्चे के पालन पोषण और उसका संरक्षकत्व करना है।

हनफी.संप्रदाय के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे की हिजामत उसकी माता को प्राप्त है यदि लड़का है तो 7 वर्ष तक तथा लड़की है तो बालिग योन आस्था की उम्र 15 वर्ष तक मां को अभी रक्षा करने का अधिकार है।

विवाह विच्छेद के बाद भी विधवा या तलाकशुदा मां को अपने शिशुओं की हिजानत का अधिकार बना रहता है बशर्ते वह पुनर्विवाह ना की हो।

शिया विधि के अनुसार माता पुत्र को 2 वर्ष की आयु तक तथा पुत्री को 7 वर्ष की आयु तक हिजानत रखने का अधिकार रखती है।

इमाम बंदी बनाम मुतसददी 1918 Al 73

प्रीवी काउंसिल ने निर्णय किया कि माता एक निश्चित आयु तक बच्चे की संरक्षक होती है लेकिन वह प्राकृतिक या कानूनी संरक्षक नहीं होती है मात्र अभिरक्षा रखती है पिता उसका प्राकृतिक संरक्षक होता है यदि पिता नहीं है तो उसका निष्पादन प्राकृतिक संरक्षक होगाः

7 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा 15 वर्ष से कम आयु की पुत्री को पिता अपने अभिरक्षा में तभी रख सकता है यदि उसकी मां की मृत्यु हो गई हो या अयोग्य हो गई हो तथा माता की तरफ से कोई महिला व पिता की तरफ से कोई भी महिला मौजूद न हो इस स्थिति में पिता उसकी अभिरक्षा रख सकता है।
- अवैध संतान की संरक्षक मां होती है।

- अवयस्क पत्नी की भी अभिरक्षा का अधिकार कन्या की मां को ही है ना कि उसके पति को।

शिया विधि में हिजानत मां के पास होती है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है लेकिन मां की मृत्यु या उसके अयोग्य हो जाने पर शिशु की अभिरक्षा का अधिकार पिता पर होगा उसके बाद दादा पर यदि वह भी ना हो तो मात्र पक्ष के नाते दारु को स्त्री नातेदारी की ओर इतना मिलती है।

अवयस्क की संपत्ति के विधिक संरक्षक

मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क की संपत्ति में विधिक संरक्षक वही होते हैं जो प्राकृतिक संरक्षक होते हैं अर्थात

1 पिता

2 पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक

3 पिता का पिता

4 पिता के पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक

पिता या पितामह अवयस्क की मां या उसके भाई चाचा इत्यादि को अपनी वसीयत द्वारा निष्पादित नियुक्त कर सकता है।

अवयस्क की संपत्ति को अंतरण करने की शक्ति

fof/kd संरक्षक अवयस्क की अचल संपत्ति को बेचने या बंधक द्वारा स्थानांतरण नहीं कर सकता है लेकिन जब नितांत आवश्यक है उसके लाभ के लिए हो तो कर सकता है निम्नलिखित अपवादित दशाएं हैं जब अचल संपत्ति अंतरण की जा सकती है।

1 वह मृत व्यक्ति जिसके आवेश को संपत्ति मिली हो उसका कर्ज चुकाने के लिए

2 अवयस्क के भरण-पोषण के लिए अन्य कोई साधन ना हो

3 जब संपत्ति नष्ट हो रही हो या उसका क्षय हो रहा हो इत्यादि

विधिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना

1 आवयस्क की संपत्ति को भारित नहीं कर सकता है।

2 विक्रय नहीं कर सकता है।

3 बंधक नहीं रख सकता है।

4 हिबा द्वारा हस्तांतरित नहीं कर सकता है ।

5 संपत्ति के लिए किसी विभाग को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो अवयस्क को वयस्कता प्राप्त करने के 1 वर्ष से अधिक हो पट्टे पर नहीं दे सकता है देता है तो शून्य होगा।

6 विनिमय नहीं कर सकता है ।

चल संपत्ति के संबंध में :-

अवयस्क की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे भोजन कपड़ा मकान इत्यादि के लिए आवश्यक की चल संपत्ति को फिर का विधिक संरक्षक विक्रय या गिरवी कर सकता है किंतु अवयस्क के कार्यों पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व वयस्क पर ही होगा विधिक संरक्षक वैसा ही आचरण करेगा जैसा वह अपनी संपत्ति का करता है।